जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

डिस्कॉम ने दी राहत

शहरों व कस्बों के पास खेतों में रहने वालों को कनेक्शन देने के लिए दिशा–निर्देश जारी

जयपुर, 18 जुलाई। नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले शहरों एवं कस्बों के पास खेतों में रहने वालों को कनेक्शन जारी करने के लिए डिस्कॉम द्वारा दिशा–निर्देश निर्धारित कर बड़ी राहत प्रदान की है और सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए है।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले शहरों एवं कस्बों के पास खेतों में रहने वाले व्यक्तियों की कनेक्शन से सम्बधित शिकायतों को दूर करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए है। ऐसे क्षेत्रों में प्रो–रेटा आधार पर इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेज के लिए प्लाट के क्षेत्रफल की गणना के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित कर दिए गए है।

उन्होंने बताया कि नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले शहरों एवं कस्बों के पास खेतों में लोग रह रहे है एवं वहां प्लाट नही काटे गए है तथा उनको कनेक्शन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए प्रकिया को सरलीकृत किया गया है। जिसके अनुसार खेत में निवास कर रहे आवेदक से उसके द्वारा घोषित प्लाट के क्षेत्रफल (कम से कम 100 वर्गगज) के आधार पर विद्युतीकरण की राशि वसूल करके कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही 15 एचपी तक के औद्योगिक कनेक्शनों के प्रकरणों में तकनीकी रुप से सम्भव होने पर वर्तमान सिस्टम से ही कनेक्शन जारी कर दिए जाएगें। 15 एचपी तक और उससे अधिक के औद्योगिक कनेक्शना में वर्तमान सिस्टम के तकनीकी रुप से साध्य नही होने पर नया वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में ट्रांसफार्मर और सब–स्टेशन की लागत तो निगम वहन करेगा एवं एचटी/एलटी लाइन के विस्तार की लागत आवेदक को वहन करनी होगी।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 782/2018